



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्ड कोटकासिम अलवर

अनवान शिवनारायण बनाम रामकुमार
 किस्म मुकदमा 212 RT Act मु0न0 305 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
21.10.2021	<p>प्रार्थी मय वकील उपस्थित। प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट के तहत पेश किया। दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी को जरिये आर.ए.डी. नोटिस तलब किया जावे। आयन्दा पत्रावली दिनांक 26.11.2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम </p>
17/11/21	<p>आज यह पत्रावली प्रशासन जांच के संग अभियान के मा हारमोली में पेश हुई। प्रार्थी स्वयं उपजु प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी मूल बाद विद्वा करालिया गया है। अब इस प्रार्थना पत्र को भागे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। वारी का मूल बाद विद्वा होने पर यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार देख्य नम्बर से कम हो। बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;">  </p>

शिवनारायण

